जीसीएमएस नं. 2013/00063

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 24/2013

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. सोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह, जाति खत्री सिख साकिन 02 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर(मृतक) के वारिसान।
   - 1.1 पुरूषोतम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति खत्री सिख निवासी 102 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
   - 1.2 बाबू सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति खत्री सिख, निवासी दुकान नंबर 10 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
   - 1.3 मोला देवी पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी छिन्द्र पाल सिंह, निवासी अजनाली मंडी गोविन्दगढ़, पंजाब।
   - 1.4 स्वर्णकौर पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह, निवासी घोला साहब तरण तारण पंजाब।
   - 1.5 जनकरानी पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी अयोध्या प्रकाश खोदी, निवासी मंडी मिखीविंड तहसील तरण तारण, पंजाब।
   - 1.6 रानी देवी पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी कृष्ण मलहोत्रा, निवासी 10 एन ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
   - 1.7 आशारानी उर्फ गोगी पुत्री सोहन सिंह पत्नी भारतभूषण निवासी पटटी तहसील तरण तारण, पंजाब। **(मृतक)**
     - 1.7.1 भरत भूषण पति निवासी पट्टी जिला अमृतसर (पंजाब)
     - 1.7.2 पुषकरण पुत्र निवासी पट्टी जिला अमृतसर (पंजाब)
     - 1.7.3 सैमना पुत्री निवासी पट्टी जिला अमृतसर (पंजाब)
   - 1.8 वीना देवी पुत्री श्री सोहन सिंह पत्नी चरणजीत जग्गी निवासी बसंती चौक, श्रीगंगानगर
   - 1.9 राजेन्द्र सिंह पुत्र शीला देवी(मृतक) पुत्री सोहन सिंह, निवासी धालेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.10 उत्तम सिंह पुत्र शीला देवी(मृतक) पुत्री सोहन सिंह, निवासी धालेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   - 1.11 संतोष कौर पुत्री शीला देवी(मृतक) पुत्री सोहन सिंह, निवासी धालेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पुरूषोतम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति खत्री निवासी 02 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बाबु सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति खत्री निवासी 02 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चूनावढ़ दिनांक 12.07.2004 जिसकी रूह से चक 05 एचएच के विभिन्न खातों का जो कि अलग–अलग थे जोत विभाजन सहमति के आधार पर करने का गलत आदेश पारित किया गया –बमुराद मन्सुखी बाबत्।

उपस्थित :

1. राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।
2. श्री सतीश मण्डेजा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3
3. श्री दिनेश वधवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1.1 ता 1.11

:: आदेश:: दिनांक: 29.05.2026

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि:–

1. आदेश जेर अपील अदालत मातहत, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल अपील हाजा है, गलत खिलाफ कानून खिलाफ खिलाफ वाकेआत तथा रूएदाद मिसल के है, इसलिए काबिल इखराजी के है।
2. अदालत मातहत के समक्ष जो कथित बंटवारा नामा पेश किया गया उसमें कहीं खाता नंबर व खाता में किस–किस का नाम अंकित है दर्ज नहीं किया गया, जबकि ऐसे बंटवारा में खाता नंबर व सभी का नाम दर्ज करना अनिवार्य होता है। इस पर अदालत मातहत ने कोई गौर नहीं किया है।
3. इस जोत विभाजन में खाता संख्या 48/35 मुरब्बा नंबर 37–40 की जमाबंदी भी लगाई गई है तथा इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह केवल पुरूषोतम सिंह व बाबु सिंह के नाम से ही है। अतः इसमें सोहन सिंह का नाम अंकित ना होने के कारण यह किसी प्रकार से संयुक्त खाता की परिभाषा में कतई नहीं आता है तथा इसका जोत विभाजन रेस्पों 03 में कानूनन नहीं हो सकता था।
4. इसके अलावा खाता संख्या 68/55 की जमाबंदी की नकल पेश की गई है तथा यह खाता केवल अकेले सोहन सिंह के नाम से ही है तथा इस प्रकार से यह खाता भी संयुक्त खाता की परिभाषा में नहीं आता है। अतः इसका भी किसी प्रकार से विभाजन रेस्पो. के बीच में कानूनन नहीं किया जा सकता था। क्योंकि यह खाता अकेले सोहन सिंह के नाम से ही था। अतः इन दोनों खातों के मुश्तरका खाता ना होने से जो जोत विभाजन किया गया है, वह जोत विभाजन की परिभाषा में ना आकर तबादला तथा गिफ्ट की ही परिभाषा में आता है। अतः इसका अधिकार अदालत मातहत को न होने से आदेश बिला अधिकार गलत शून्य है तथा निरस्त करने योग्य है क्योंकि अविधिक विधि विरूद्ध पारित किया गया है। केवल मात्र स्टांप डयूटी व रजि. शुल्क की चोरी करने की नियत से ही यह कार्यवाही की गई।
5. जहां तक अन्य खाता की भूमि के विभाजन का संबंध है इसमें अन्य सहखातेदारान भी है जो कि खाता संख्या 20/17 में जगतार सिंह व खाता संख्या 34/41 में महेन्द्र सिंह का नाम दर्ज है, जबकि इनकी कोई सहमति जोत विभाजन में नहीं है। अतः ना तो इनको बुलाया गया ना ही बयान लिए ना ही किसी प्रकार से जमाबंदी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

का सावधानी से अवलोकन ही किया गया है। अतः आदेश जेर अपील गलत पारित किया गया है।

6. बिना सहमति के जोत विभाजन का अधिकार केवल मात्र सहायक जिलाधीश/उप जिलाधीश में ही निहित करता है, अदालत मातहत में नहीं। अतः अदालत मातहत ने बिना अधिकार के ही आदेश पारित किया है, किसी प्रकार से कब्जा के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः यह मामला तबादला गिफ्ट आदि की परिभाषा में आने से भी अदालत मातहत को किसी प्रकार से अधिकार आदेश पारित करने का नहीं था। अतः आदेश जेर अपील निरस्त करने योग्य है।
7. पटवारी हल्का ने भी रिपोर्ट गलत की है कि उसने जानबूझकर उक्त तथ्यों को छुपाकर केवल यह लिखा कि कब्जा के आधार पर विभाजन करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से तबादला गिफ्ट के अहम तथ्यों को तथा सभी की सहमति ना होने को जानबूझकर छिपाया गया है। अतः आदेश जेर अपील निरस्त करने योग्य है।
8. अदालत मातहत ने अपने आदेश में जिलाधीश श्रीगंगानगर के जिस आदेश क्रमांक 7762–82 दिनांक 05.11.1997 का लिखा है कि उसके अंतर्गत आदेश पारित किया है, उसकी मंशा कभी यह नहीं रही जैसा कि इस मामले में किया गया है।
9. रकबा बैंक के पास रहन है तथा बिना रहन मुक्त हुए किसी तरह से विभाजन नहीं किया जा सकता था, इस पर भी गौर नहीं किया गया है।
10. धारा 53 आरटीएक्ट की भी ऐसी भावना नहीं रही है कि बिना संयुक्त खाता के ही किसी खाता का विभाजन कर दिया जावे जो खाता सोहन सिंह के नाम से है उसमें अन्य रेस्पों. का कोई हक नहीं तथा अन्य दोनों के नाम से है उसमें सोहन सिंह का कोई हक कब्जा नहीं कहा जा सकता है। अतः यह मामला धारा 53 में जोत विभाजन का कतई नहीं बनता था। अदालत मातहत ने गलत आदेश पारित किया जो कि स्पष्ट तौर से ही शुन्य है। अतः निरस्त करने योग्य ही है।
11. अन्य वजुहात बरवक्त बहस अर्ज किए जावेंगे। यह मामला स्टांप चोरी आदि का है तथा इससे राजस्थान सरकार को राजस्व हानि हुई है, क्योंकि दस्तावेज गिफ्ट तबादला रजिस्टर होते तो राजस्व की आय सरकार को होती।
12. अपील अपीलांट काबिल समाअत अदालतवाला है तथा आदेश होने पर पत्रावली विधि परीक्षण में जाने व 9 अन्य पत्रावलियों के साथा जांच में चली जाने, जांच रिपोर्ट 07.05.2010 को आने तथा जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2446 दिनांक 17.05.2010 से अपील करने के लिए लिखे जाने व मन तहसीलदार की डयूटी नरेगा कार्य जनगणना कार्य व तूडी की टाल हटाने में लगी होने राजकीय कार्य में अतिव्यस्त रहने से पत्रावली सामने ना आ पाने व बाद में आने पर तुरंत ही 22.06.2010 को नकल हासिल कर अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। शून्य आदेश की कोई मियाद नहीं है। अतः बरफा उजर दरखास्त दफा 5 एक्ट मियाद पेश की जा रही है।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि इस जोत विभाजन में खाता संख्या 33/28 के मु.न. 8, 27 का 6.325 हैक्टेयर, खाता संख्या 34/29 व 35/30 का मु.न. 1 का 3.794 हैक्टेयर, खाता सं. 59/50 के मु.न. 48 का 1.128 हैक्टेयर, खाता सं. 20/17 के मु. न. 34 का 3.162 हैक्टेयर, खाता सं. 48/35 व 11/35 के मु.न. 40 के 1.579 हैक्टेयर रकबा केवल पुरूषोतम सिंह व बाबु सिंह के नाम से ही है। अतः इसमें सोहन सिंह का नाम अंकित ना होने के कारण यह किसी प्रकार से संयुक्त खाता की परिभाषा में कतई नहीं आता है तथा इसका जोत विभाजन रेस्पों 03 में कानूनन नहीं हो सकता था और इसके अलावा खाता संख्या 68/55 की जमाबंदी की नकल पेश की गई है तथा यह खाता केवल अकेले सोहन सिंह के नाम से ही है तथा इस प्रकार से यह खाता भी संयुक्त खाता की परिभाषा में नहीं आता है। अतः इसका भी किसी प्रकार से विभाजन रेस्पो. के बीच में कानूनन नहीं किया जा सकता था। क्योंकि यह खाता अकेले सोहन सिंह के नाम से ही था। अतः इन दोनों खातों के मुश्तरका खाता ना होने से जो जोत विभाजन किया गया है, वह जोत विभाजन की परिभाषा में ना आकर तबादला तथा गिफ्ट की ही परिभाषा में आता है। अतः इसका अधिकार अदालत मातहत को न होने से आदेश बिना अधिकार गलत शून्य है तथा निरस्त करने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण सोहनसिंह पुत्र श्री जगत सिंह, पुरूषोत सिंह, बाबू सिंह पिसरान श्री सोहन सिंह जाति खात्री सिख, निवासी धालेवाला, 2 एलएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने अपनी संयुक्त खाता की कृषिभूमि का ही बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मात्र अंकन करवाया है, जो किसी भी प्रकार से गलत व विधि विरूद्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर पटवारी हल्का 04 एलएल से भूमि संबंधी रिपोर्ट में भी कब्जानुसार बंटवारा करने की सिफारिश की गई है, जिसके उपरांत ही नायब तहसीलदार द्वारा राज. कृषि जोत अधिनियम 1955 की धारा 53 एवं श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश अनुसार ही संयुक्त खाता की कृषि भूमि का बंटवारा पिता–पुत्रों के मध्य किया गया है, जो किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ के बंटवारा आदेश दिनांक 12.07.2004 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है। उपतहसीलदार, चूनावढ़ की बंटवारा पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि उपतहसीलदार द्वारा सोहनसिंह पुत्र जगत सिंह के नाम चक 05 एचएच के खाता संख्या 68/55 के मुरब्बा नंबर 8 व 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि और पुरूषोतम सिंह, बाबू सिंह पिसरान सोहन सिंह ब.हि.ब. के नाम चक 05 एचएच के खाता संख्या 33/28 के मु.न. 8 व 27 का 6.325 हैक्टेयर, खाता संख्या 34/29 व

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

35/30 का मु.न. 1 का 3.794 हैक्टेयर, खाता सं. 59/50 के मु.न. 48 का 1.128 हैक्टेयर, खाता सं. 20/17 के मु.न. 34 का 3.162 हैक्टेयर, खाता सं. 48/35 व 11/35 के मु.न. 40 के 1.579 हैक्टेयर कृषि भूमि के मध्य बंटवारा किया गया है। खाता संख्या 68/55 के मुरब्बा नंबर 8 व 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि केवल सोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम से दर्ज है, जिसमें पुरूषोतम सिंह, बाबू सिंह वल्द सोहन सिंह किसी भी प्रकार से संयुक्त खातेदार नहीं है एवं खाता संख्या 33/28 के मु.न. 8, 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि पुरूषोतम सिंह व बाबू सिंह के नाम से ब.हि.ब. दर्ज है, जिसमें सोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह किसी भी प्रकार से संयुक्त खातेदार नहीं है।

उपतहसीलदार, चूनावढ़ द्वारा सोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम से दर्ज खाता संख्या 68/55 के मुरब्बा नंबर 8 व 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि में से पुरूषोतम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के नाम मुरब्बा नंबर 27 का किला नंबर 11, 12 (प्रत्येक 0.253), 13 (0.127) कुल 0.633 हैक्टेयर दर्ज रकबा और पुरूषोतम सिंह, बाबू सिंह पिसरान सोहन सिंह के नाम से ब.हि.ब. दर्ज खाता संख्या 33/28 मुरब्बा नंबर 8 व 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि में से सोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम मुरब्बा नंबर 27 का किला नंबर 1(0.253), 2(0.253), 3(0.127) कुल 0.632 हैक्टेयर दर्ज रकबा संयुक्त खाता की कृषि भूमि के बंटवारे की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह केवल मात्र स्टांप शुल्क बचाया जाकर राजस्व हानि की गई है। अतः उपतहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ के बंटवारा आदेश दिनांक 12.07.2004 में खाता संख्या 68/55 के मुरब्बा नंबर 8 व 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि में से पुरूषोतम सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह के नाम मुरब्बा नंबर 27 का किला नंबर 11, 12 (प्रत्येक 0.253), 13 (0.127) कुल 0.633 हैक्टेयर दर्ज रकबा और खाता संख्या 33/28 मुरब्बा नंबर 8 व 27 की 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि में से सोहन सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम मुरब्बा नंबर 27 का किला नंबर 1(0.253), 2(0.253), 3(0.127) कुल 0.632 हैक्टेयर दर्ज रकबा पर हुई स्टाम्प ड्यूटी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित स्टांप शुल्क/पंजीयन शुल्क आदेश दिनांक 12.07.2004 को प्रचलित डीएलसी दर के हिसाब से वसूल की जावे एवं उपतहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ द्वारा पारित आदेश सहमति बंटवारानामा दिनांक 12.07.2004 को यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उपतहसीलदार (भू.अ.), चूनावढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एंव रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner